अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशाषी संस्था.)

रा.रा.मार्ग नं.–8 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास,
अजमेर, 305025

Website: www.ecajmer.ac.in
E-mail : principal@ecajmer.ac.in

Telephone : 0145-2971024

क्रमांकः अमअ / संस्थापन / 2020 / 561

दिनांक : 15/01/20

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के वित्त विभाग (नियम) की अधिसूचना संख्या F.1(6)FD/Rules/2011 Jaipur दिनांक 22.05.2018 एवं ज्ञापन क्रमांक प. 1(6)वित्त / नियम / 2011 जयपुर दिनांक 10.09.2018 की अनुपालना के क्रम में शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों के तहत आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाएगा : –

1. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से स्वः हस्तलिपि में पूर्ण सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न कर इस हेतु गठित समिति के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करें।
2. शिशु देखभाल अवकाश आवेदन विभागाध्यक्ष से अग्रेषित किया जाना अनिवार्य है।
3. बिन्दु संख्या 2 के क्रम में समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशनार्थ लेख है कि विभाग के सुचारू कार्य संचालन व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही विभाग की महिला कार्मिकों के शिशु देखभाल अवकाश के आवेदन को अग्रेषित करें।
4. एक समय में एक कार्यालय / ईकाई / विभाग में पदस्थापित कुल कार्मिकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक महिला कार्मिकों को शिशु देशभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशनार्थ लेख है कि वे अपने विभाग में कार्यरत कुल कार्मिकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक शिशु देखभाल अवकाश आवेदन को अग्रेषित ना करें।
6. एक समय में एक कार्यालय / ईकाई / विभाग से अधिक संख्या में महिला कार्मिकों के आवेदन प्राप्त होने पर शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृति में प्राथमिकता का निर्धारण निम्न बिन्दुओं के दृष्टिगत किया जा सकेगा –

(i) बच्चे की गंभीर बीमारी के समय देखभाल / विकलांगता के कारण बच्चे का पालन।

(ii) बच्चे की सैकण्ड्री / सीनियर सेकण्ड्री परीक्षा के समय देखभाल।

(iii) बच्चे की सैकण्ड्री / सीनियर सेकण्ड्री के अतिरिक्त शिक्षण कार्य के समय देखभाल।

(iv) 03 वर्ष तक की आयु के बच्चे का पालन।

7. शिशु देखभाल अवकाश एवं अन्य सभी अवकाश अधिकार की श्रेणी में नहीं है, जिन्हें स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना संस्था प्रधान के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा।

लगातार पेज नं0 2 पर

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशाषी संस्था.)

रा.रा.मार्ग नं.–8 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास,
अजमेर, 305025

Website: www.ecajmer.ac.in
E-mail : principal@ecajmer.ac.in

Telephone : 0145-2971024

8. चूंकि महाविद्यालय में छमाही प्रणाली (Semester System) में शिक्षण कार्य संचालित किया जाता है। अतः महाविद्यालय स्तर पर निम्न सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाता है। **समिति प्रत्येक छमाही (Semester) के प्रारम्भ में शिशु देखभाल अवकाश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम) की अधिसूचना एवं ज्ञापन के नियमों के अन्तर्गत परीक्षण कर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।** समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर ही महिला कार्मिकों को शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति पर निर्णय लिया जावेगा।

नोटः विषम एवं कठिन परिस्थितियों को साबित किए जाने पर ही छमाही (Semester) के प्रारम्भ के अलावा प्राप्त अवकाश आवेदनों हेतु विचार स्वीकार किया जावेगा अन्यथा नहीं।

समिति :

1. डॉ. विमल चन्द जैन, सह–आचार्य – मुख्य समन्वयक
2. डॉ. रेखा मेहरा, सह–आचार्य – सदस्य
3. डॉ. देवेन्द्र चौधरी, सह–आचार्य – सदस्य
4. डॉ. राकेश राठी, सहायक आचार्य – सदस्य
5. कुलसचिव – सदस्य सचिव

प्राचार्य

क्रमांक अभ्या/स्था/2020/6237-6244

प्रतिलिपि (वेबसाईट द्वारा) :–

1. उपरोक्त समिति सदस्यों को पालनार्थ
2. समस्त विभागाध्यक्षों / अनुभाग अधिकारियों को सूचनार्थ
3. संस्थापन शाखा
4. रक्षक पत्रावली

कुलसचिव